

परिपत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करवारी, 2012 में पारित आदेश के अनुसरत में खनिज विभाग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक निर्माण ताम्र हेतु अल्पकालीन अनुज्ञा परमिट जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस अधिसूचना के तहत संवेदकों को सभी प्रकार की उन लागतों पर उदाहरण किया गया है। इस अधिसूचना के तहत संवेदकों को सभी प्रकार की उन लागतों पर 5/- रुपये प्रति टन शुल्क एनवायरमेन्ट मैनेजमेन्ट फण्ड के रूप में जगा करवाने का प्रतिक्रियान्वयन है।

उदाहरण के अन्तर्गत संवेदकों को एनवायरमेन्ट मैनेजमेन्ट फण्ड की राशि अल्पावधि परमिट के प्रार्थना पत्र के साथ जमा कराने के निर्देश खनिज विभाग की अधिसूचना में दिनांक 19 जून, 2012 में दिये गये हैं। संवेदकों को इस संबंध में होने वाली कठिनाईयों को मध्य नज़र रखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. प्रत्येक रनिंग बिल के भुगतान के साथ एनवायरमेन्ट मैनेजमेन्ट फण्ड में देय राशि का भुगतान खण्ड द्वारा हैण्ड रिसिप्ट पारित कर किया जायेगा। संवेदकों को भुगतान करने से पूर्व हैण्ड रिसिप्ट का पास आडर, बिल पास आडर से पूर्व उसी माप पुरितका में इन्द्राज किया जावें जिसमें संबंधित रनिंग बिल पारित किया जा रहा है। हैण्ड रिसिप्ट पास करने के उपरान्त इसका इन्द्राज अनुबन्ध पत्रावली के अन्तिम पृष्ठ पर भी किया जाना आवश्यक होगा।
2. इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात बनने वाले सभी योजनाओं के सभी कार्यों के तकमीनों के अन्त में अन्य वार्जेज के साथ एनवायरमेन्ट मैनेजमेन्ट फण्ड की राशि भी उपरोक्तानुसार जोड़ी जावेगी एवं उक्त राशि के लिए भी भविष्य के अनुबन्धों में इसी प्रकार से हैण्ड रिसिप्ट बनाकर रनिंग बिल के साथ – साथ एनवायरमेन्ट मैनेजमेन्ट फण्ड में देय अंश का व्यय भी सीधे ही कार्य पर भारित किया जावेगा।
3. उक्त प्रकार से हैण्ड रिसिप्ट की राशि का भुगतान प्रत्येक माह संबंधित खण्ड द्वारा पूर्ण विवरण के साथ खनिज विभाग के संबंधित खाते में जगा कराया जावें।